भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 975**

<u>दिनांक 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

विश्व व्यापार संगठन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनुमत राजसहायता की अधिकतम सीमा के संबंध में समाधान

975. श्री एस॰ थंगावेलु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि 31 दिसम्बर, 2015 तक विश्व व्यापार संगठन द्वारा राज सहायता को अधिकतम अनुमत सीमा पार कर जाने पर किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने संबंधी मुद्दे का स्थायी समाधान किया जाए;

(ख) क्या भारत ने पहले ही विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा के पार जाने की स्थिति में अन्य देशों द्वारा कार्रवाई से बचे रहने की छूट प्राप्त कर ली है; और

(ग) क्या भारत दिसम्बर में नैरोबी में आयोजित होने वाली विश्व व्यापार संगठन की अगली मंत्रालयी बैठक की कार्य योजना में इस मुद्दे को शामिल करने के लिए प्रयासरत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) जी हॉ ।

(ख) दिसम्बर, 2013 में बाली में आयोजित डब्ल्यूटीओ के नौवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर मंत्रीस्तरीय निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात, भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप, डब्ल्यूटीओ की महापरिषद (जी सी

) ने नवंबर, 2014 में एक निर्णय लिया जिसमें यह स्पष्ट किया कि एक तंत्र, जिसके तहत डब्ल्यूटीओ सदस्य, कृषि पर डब्ल्यूटीओ करार के तहत कुछ दायित्वों के संबंध में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु विकासशील देश के सदस्यों के पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को चुनौती नहीं देंगे, अपने स्थान पर निरंतर बने रहेंगे जबतक कि इस मुद्दे के संबंध में एक स्थायी समाधान पर सहमति नहीं बन जाती और उसे अपनाया नहीं जाता। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को जारी रखने के लिए उपलब्ध सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और यह सुनिश्चित करेगा कि डब्ल्यूटीओ नियमों के कारण यह बाधित नहीं होगा ।

(ग) जीसी निर्णय में सर्वोत्तम प्रयास आधार पर 31 दिसम्बर, 2015 तक एक स्थायी समाधान की खोज करने की प्रतिबद्धता और कार्य के तीव्र कार्यक्रम के जरिए इस उद्देश्य के लिए वार्ताओं में लगे रहने की दृढ़ प्रतिबद्धता शामिल है । भारत डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ यथाशीघ्र एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है ।

***